

अनुज्ञापत्र संख्या - 01/2013-14

उपायुक्त, रामगढ के संचिकास्थ आदेश दिनांक 29.06.2013 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दिनांक 01.07.2013 से 31.03.2014 तक के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत।

उत्पाद प्रपत्र - 27 ड़

झारखंड राज्य के अन्तर्गत रामगढ जिला में देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति
(केवल झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, राँची के लिए)

इसके द्वारा झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची जिन्हें इसमें अनुज्ञाधारी कहा गया है को रामगढ जिला की देशी शराब/मसालेदार देशी शराब/कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों को देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिए झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 20 के उपबन्धों एवं इसमें आगे बताई गई शर्तों के अधीन उपायुक्त के द्वारा दिनांक 01.07.2013 से 31.03.2014 तक के लिए निम्नांकित शर्तों के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, यथा—

शर्तें

- 1- इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची गई शराब आयुक्त उत्पाद द्वारा विहित मानक के अनुसार औसतन अच्छी किस्म की होगी।
- 2- अनुज्ञाधारी झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनाई गई नियम से जहाँ तक उनसे संबंध हो आबद्ध रहेगा।
- 3- अनुज्ञाधारी जिस जिला के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु निर्धारित देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक बिक्री के पूर्व जिला के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर रू0 2/- प्रति एल0पी0एल0 की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क एकमुश्त अग्रिम जमा करेगा। यदि वित्तीय वर्ष में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक आपूर्ति होती है तो न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक की गयी आपूर्ति की मात्रा पर उपरोक्त दर से थोक अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा।
- 4- जिस जिला के लिए झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु विनिर्दिष्ट प्रक्षेत्र के अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त विनिर्माणशाला के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पास के जरिए विनिर्माणशाला से झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का परिवहन किया जायेगा।
- 5- इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री केवल उन्हीं व्यक्तियों/अनुज्ञप्ति प्राप्त खुदरा विक्रेताओं के साथ की जाएगी जो जिले के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा हस्ताक्षरित पारक प्रस्तुत करेंगे।

उपायुक्त, रामगढ के संचिकास्थ आदेश दिनांक - 31.03.2014 के आलोक में वित्तीय वर्ष - 2013-14 के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत।

31/3/14
सहायक आयुक्त उत्पाद
हजारीबाग

6- इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का संचय एवं बिक्री के लिए मदिरा का निर्गमण प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। अनुज्ञाधारी उनकी सहायता के लिए प्रत्येक थोक गोदाम में अपना प्रतिनिधि/कर्मचारी रखेगा जहाँ से खुदरा अनुज्ञाधारियों को निर्धारित दर पर देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का निर्गमण जिला उत्पाद कार्यालय से निर्गत पारक के आधार पर किया जायेगा।

7- देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा क्रय किये गये शराब के मूल्य की राशि का भुगतान झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को किया जाएगा तथा प्राप्त राशि के बदले झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्राप्ति रसीद निर्गत की जाएगी।

8- इस अनुज्ञप्ति के अधीन बेची जानेवाली देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की शक्ति वही होगी जैसा कि राजस्व पर्षद, झारखंड समय-समय पर नियत करें।

9- अनुज्ञाधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर न्यूनतम 15 दिनों का स्कन्ध हमेशा रखा जाएगा। विशेष परिस्थिति में इस संबंध में विचलन आयुक्त उत्पाद के आदेश से ही सम्भव होगा। जब कभी विहित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम स्कन्ध हो तब अनुज्ञाधारी विहित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के अनुरूप स्कन्ध शीघ्र पूरा कर देगा। यदि अनुज्ञाधारी जिला के भण्डागार के प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी से ऐसा करने के लिए सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के अंदर ऐसा नहीं करता है तो वह ऐसे दण्ड का भागी होगा जैसा आयुक्त उत्पाद द्वारा ठीक समझा जाएगा।

10- अनुज्ञाधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्पाद अनुज्ञप्ति पर लागू सामान्य शर्तों का सम्यक रूप से और निष्ठा पूर्वक पालन करेगा।

11- अनुज्ञाधारी आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जानेवाले सभी सामान्य एवं विशेष आदेश से आबद्ध रहेगा।

12- अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री का लेखा-जोखा अलग-अलग रखेगा एवं खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

13- अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मद्यपान की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

14- अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

15- अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधिसूचना/संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।

16- अनुज्ञाधारी राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

17- अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

New Licence No. - 01/275/2015-16

उत्पाद, झारखंड के जिला उत्पाद अधिकारी द्वारा दिनांक - 22-03-2015 को जारी किया गया है।
उत्पाद के जिला उत्पाद अधिकारी द्वारा दिनांक - 2015-16 के लिए जारी किया गया है।

सहायक आयुक्त उत्पाद
हजारीबाग

1-7-13

01/7/13

31/02/2016

अनुज्ञा संख्या- 01/2013-14

उपायुक्त, रामगढ के संचिकास्थ आदेश दिनांक 29.06.2013 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दिनांक 01.07.2013 से 31.03.2014 तक के लिए अनुज्ञाप्ति निर्गत।

उत्पाद प्रपत्र संख्या 1 B

विदेशी शराब (बीयर एवं वाइन सहित) भण्डारण एवं बिक्री के लिए थोक अनुज्ञाप्ति जिसके तहत कॉरपोरेशन के गोदाम से जिला के खुदरा अनुज्ञाधारियों को आपूर्ति हो।

(केवल झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लि०, राँची के लिए)

जिला का नाम :- रामगढ

रजिस्टर सं० 01 में लाइसेंस सं० 01/2013-14

लाइसेंस की तारीख :- 01.07.2013

अनुज्ञाधारी का नाम :- झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लि०, राँची

लाइसेंस अवधि:- 01.07.2013 से 31.03.2014 तक चालू

बिक्री गोदाम का स्थान :- ग्राम- मरार, जिला- रामगढ

चौहद्दी :-

वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस :- 18,00,000/-

अग्रिम रूप में भुगतान रू०:- 18,00,000/-

विदित हो कि सर्वश्री झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को जिला के उपायुक्त दिनांक 01.07.2013 से 31 मार्च 2014 तक पेय विदेशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं, ताकि जिला के खुदरा अनुज्ञाधारियों को इसकी आपूर्ति हो सके।

1- इस लाइसेंस के चालू रहने की शर्त के रूप में लाइसेंसधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित अनुच्छेदों और सभी उत्पाद शुल्क लाइसेंसों पर लागू सामान्य शर्तों का सम्यक् रूप से और निष्ठापूर्वक पालन करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा।

उपायुक्त, रामगढ के संचिकास्थ आदेश दिनांक- 31/03-2014 के आलोक में वित्तीय वर्ष- 2013-14 के लिए अनुज्ञाप्ति निर्गत।

31/3/14
सहायक आयुक्त उत्पाद
हजारीबाग

- 2- झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार को जिला के लिए स्वीकृत अनुज्ञप्ति के लिए अग्रिम के रूप में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रु0 **18,00,000/-** का भुगतान करेगा। वह वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का भुगतान संबंधित जिला स्थित कोषागार/उपकोषागार में करेगा।
- 3- (क) अनुज्ञाधारी किसी भी खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।
- (ख) अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन अमिश्रित सादा स्पिरिट या परिशोधित स्पिरिट नहीं बेचेगा।
- 4- अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मद्यपान नहीं करने देगा।
- 5- अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन 25 डिग्री यू0पी0 शक्ति से कम शक्ति का व्हिस्की, ब्राण्डी, वोदका, रम एवं जीन का बिक्री नहीं करेगा।
- 6- अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन अनुमोदित परिसर के अलावे कहीं और बिक्री हेतु विदेशी शराब/बीयर संचय नहीं करेगा वशर्त कि इसके लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गयी हो
- 7- अनुज्ञाधारी विदेशी शराब/बीयर उधार नहीं बेचेगा/एवं थोक बिक्री हेतु इसका पर्याप्त स्कन्ध बनाये रखेगा।
- 8- अनुज्ञाधारी मदिरा एवं उसके लेबुल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा जिसकी भण्डारण की गई हो।
- 9- अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में विदेशी/बीयर के स्कन्ध एवं बिक्री का पूरा ब्यौरा प्रतिदिन लेखा पंजी में अंकित करेगा। समय-समय पर निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच की जा सकेगी।
- 10- अनुज्ञाधारी किसी को भी जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा निर्गत पास के बिना मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।
- 11- अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरा के पेटियों को ब्राण्डवार इस प्रकार संग्रहित करेगा के उसे निरीक्षण के समय सत्यापन में सहूलियत हो।
- 12- अनुज्ञाधारी किसी भी ब्राण्ड की सात पेटी से अधिक पेटियों को एक के उपर एक नहीं रखेगा।
- 13- अनुज्ञाधारी की शर्तों के उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जा सकेगा।
- 14- अनुज्ञाधारी गोदाम के कार्य करनेवाले प्रबन्धन एवं कार्य करनेवाले अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची आयुक्त उत्पाद को देना सुनिश्चित करेगा।

15- अनुज्ञाधारी समय-समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत सामान्य तथा विशेष निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

16- अनुज्ञाधारी उत्पाद अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावाली का अनुपालन करेगा तथा उससे आबद्ध रहेगा।

17- अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधिसूचना/संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।

18- अनुज्ञाधारी राजस्व पर्वद द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

टिप्पणी :- ऊपर लिखित किन्हीं शर्तों या उत्पाद शुल्क लाईसेंसों पर लागू सामान्य शर्तों का उल्लंघन होने पर यह लाईसेंस जप्त कर दिया जायेगा और लाईसेंसधारी विधि या नियम द्वारा विहित सभी या किन्हीं दण्ड का भागी होगा।

स्थान -

तिथि-

New Licence No - 01/1B/रामगढ़/2015-16

उपायुक्त, रामगढ़ के संप्रकाश आदेश दिनांक-22-03-2015 के आशेष में विलीन चर्क-2015-16 के लिए अनुमति नष्ट।

सहायक आयुक्त उत्पाद
हजारीबाग

प्रबन्ध निदेशक, झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लि० राँची द्वारा प्राधिकृत गोदाम मैनेजर/विक्रेताओं की सूची

जिला	नाम	पिता का नाम	उम्र	स्थायी पता	गोदाम मैनेजर/विक्रेता का हस्ताक्षर	लाईसेंसधारी/अनुज्ञाधारी के प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उपायुक्त, रामगढ़ के संप्रकाश आदेश दिनांक-30-03-2016 के आशेष में विलीन चर्क-2016-17 के लिए अनुमति नष्ट।

सहायक आयुक्त उत्पाद
रामगढ़